

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935

No. 14]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSA 19, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 जनवरी, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2014

सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/39/51.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में -
 - (i) शब्द "स्कीम", जहां कहीं भी वे आते हों, शब्द "सामूहिक विनिधान (निवेश) स्कीम" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे।
 - (ii) विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (म) का लोप हो जाएगा।
 - (iii) विनियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

"4क. सामूहिक विनिधान स्कीम समझी जाने वाली स्कीम या इंतजाम (ठहराव) द्वारा आवेदन

4क. (1) ऐसी किसी स्कीम या इंतजाम, जो अधिनियम की धारा 11कक की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम समझा जायेगा, को चलाने या प्रायोजित करने या चालू करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने के लिये प्ररूप क में आवेदन करेगा:

परंतु यह कि कोई स्कीम या इंतज़ाम जो अन्यथा किसी अन्य विधि के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध है सामूहिक विनिधान स्कीम नहीं समझा जायेगा।

(2) इन विनियमों के अन्य सभी उपबंध और उनके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांत तथा परिपत्र, अधिनियम की धारा 11कक की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम समझी जाने वाली किसी स्कीम या इंतज़ाम के प्रति लागू होंगे।"

(iv) विनियम 11 में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(छ) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी निर्गमित किये जाने के लिए प्रस्तावित सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों को गैरकागज़ी रूप देने के लिए निक्षेपागार के साथ करार करेगी;

(ज) सामूहिक विनिधान स्कीम की यूनिटों के अभिदान के प्रति देय समस्त धनराशियों का भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा किसी अन्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जायेगा, लेकिन नकद रूप में नहीं;

(झ) सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिये) संबंधी मानदंडों का अनुपालन करेगी।"

(v) अध्याय IX के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अध्याय IX क

सामूहिक विनिधान स्कीम समझी जाने वाली विद्यमान स्कीमें या इंतज़ाम

सामूहिक विनिधान स्कीम समझी जाने वाली विद्यमान स्कीमों या इंतज़ामों द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अभिप्रास करना

74क. (1) कोई व्यक्ति जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2014 के प्रारंभ के समय अधिनियम की धारा 11कक की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन सामूहिक विनिधान स्कीम समझी जाने वाली स्कीम या इंतज़ाम का प्रचालन कर रहा हो, विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम समझा जायेगा और वह अध्याय IX के उपबंधों का अनुपालन भी करेगा:

परंतु यह कि कोई स्कीम या इंतज़ाम जो अन्यथा किसी अन्य विधि के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध है सामूहिक विनिधान स्कीम नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण : पद "सामूहिक विनिधान स्कीम समझी जाने वाली स्कीम या इंतज़ाम का प्रचालन" के अंतर्गत उन विनिधानकर्ताओं के साथ किये गये विभिन्न दस्तावेजों में जिम्मा ली गयी बाध्यताओं को निभाना सम्मिलित होगा, जिन्होंने स्कीम या इंतज़ाम में अभिदान किया हो।

(2) विद्यमान सामूहिक विनिधान स्कीम विनियम 5 में विनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड को आवेदन करेगी।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/69 जैडबी/13]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, मूल विनियम, सं. का.आ. 1035(अ), 15 अक्तूबर, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :-

क. 14 फरवरी, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 122 (अ), द्वारा ;

- ख. 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा ;
- ग. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा ;
- घ. 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th January, 2014

Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2014

No. LAD-N.R.O./G.N./2013-14/39/51.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2014.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999 —
 - (i) the term 'scheme' wherever occurring shall be substituted by the term 'collective investment scheme'.
 - (ii) in sub-regulation (1) of regulation 2, clause (y) shall be omitted.
 - (iii) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely,-

“4A. Application by a scheme or arrangement deemed to be a collective investment scheme

4A. (1) Any person proposing to carry on or sponsor or launch any scheme or arrangement which would be deemed to be a collective investment scheme under the proviso to sub-section (1) of section 11AA of the Act, shall make an application for grant of registration as a Collective Investment Management Company in Form A:

Provided that any scheme or arrangement which is otherwise regulated or prohibited under any other law shall not be deemed to be a collective investment scheme.

(2) All other provisions of these regulations and the guidelines and circulars issued thereunder, shall apply to any scheme or arrangement deemed to be a collective investment scheme under the proviso to sub-section (1) of section 11AA of the Act.”.
 - (iv) in regulation 11, after clause (f) the following shall be inserted, namely,—

“(g) the Collective Investment Management Company shall enter into an agreement with a depository for dematerialization of the units of collective investment scheme proposed to be issued;

(h) all monies payable towards subscription of units of collective investment scheme shall be paid through cheque or demand draft or through any other banking channel, but not by cash;

(i) the Collective Investment Management Company shall comply with KYC (know your client) norms as specified by the Board.”.

- (v) after Chapter IX, the following Chapter shall be inserted, namely:—

“CHAPTER IX A

**EXISTING SCHEMES OR ARRANGEMENTS DEEMED TO BE A COLLECTIVE
INVESTMENT SCHEME**

Existing schemes or arrangements deemed to be a collective investment scheme to obtain provisional registration

74A. (1) Any person who has been operating a scheme or arrangement deemed to be a collective investment scheme under the proviso to sub-section (1) of section 11AA of the Act at the time of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2014, shall be deemed to be an existing collective investment scheme and shall also comply with the provisions of Chapter IX:

Provided that any scheme or arrangement which is otherwise regulated or prohibited under any other law shall not be deemed to be a collective investment scheme.

Explanation : The expression ‘operating a scheme or arrangement deemed to be a collective investment scheme’ shall include carrying out the obligations undertaken in the various documents entered into with the investors who have subscribed to the scheme or arrangement.

(2) An existing collective investment scheme shall make an application to the Board in the manner specified in regulation 5.”.

U. K. SINHA, Chairman

[Advt.-III/4/Exty./69 ZB/13]

Footnotes:

1. Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on 15th October 1999 vide No. S. O. 1035 (E).

2. The Principal Regulations were subsequently amended on: -

- a. 14th February 2000 by Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) (Amendment) Regulations, 2000 vide S. O. No. 122 (E);
- b. 28th March 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S. O. No 278 (E);
- c. 10th March 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);
- d. 26th May 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.